

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कोतवाली जीयनपुर

चुनाव प्रचार में रुपये बांटने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार; 74030/- रुपया नगद बरामद तथा 03 बाइक सीज।

➡दिनांक 10.05.2023 को निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 306/2023 धारा 171बी/188 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. (1) विशाल यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ (2) दीपक यादव पुत्र स्व0 द्वारिका यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ (3) रितेश यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी जामेतुल बनात कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को वार्ड नं0 10 आदर्श नगर कस्बा जीयनपुर से समय करीब 23.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया अभियुक्तों के कब्जे से 22500/- रुपये तथा घटना मे प्रयुक्त तीन अदद मोटर साईकिल बरामद कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0स0 306/2023 धारा 171बी/188 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास मु0अ0स0 306/2023 धारा 171बी/188 भादवि थाना-जीयनपुर आजमगढ़ ।

बरामदगी – 22500/- रुपये तथा घटना मे प्रयुक्त तीन अदद मोटर साईकिल ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

- (1) विशाल यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- (2) दीपक यादव पुत्र स्व0 द्वारिका यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- (3) रितेश यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी जामेतुल बनात कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.SHO यादवेन्द्र पाण्डेय व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना जीयनपुर, आजमगढ़ ।

➡दिनांक- 11.05.2023 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त आफताब पुत्र जमालुद्दीन निवासी नौशहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को कुतैशनगर कस्बा जीयनपुर से समय करीब 12.25 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसके कब्जे से कुल 51530/- रुपया बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 307/2023 धारा 171बी/188 भादवि पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0स0 307/2023 धारा 171बी/188 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास मु0अ0स0 307/2023 धारा 171बी/188 भादवि थाना-जीयनपुर आजमगढ़ ।

बरामदगी – घटना में प्रयुक्त कुल 51530/- रुपया बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त - (1) आफताब पुत्र जमालुद्दीन निवासी नौशहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – SHO यादवेन्द्र पाण्डेय उ0नि0 मायापति पाण्डेय मय हमराह थाना जीयनपुर, आजमगढ़ ।

थाना दीदारगंज

चुनाव प्रचार में रुपया व गमछा बांटने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 10.05.2023 को निरीक्षक अपराध अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा ग्राम अमनावे में सोना राजभर w/o अशोक राजभर उर्फ पन्नू निवासी बनगाँव थाना दीदारगंज आजमगढ़ के चुनाव प्रचार हेतु कुछ लोग मतदाताओं को रुपया व गमछा बांट रहे है। इस सूचना पर मौके से 1. विनोद राजभर s/o मुन्नी राजभर 2. तेज प्रताप राजभर s/o पतिराम राजभर 3. राजमन राजभर s/o बलिहारी राजभर निवासीगण अमनावे थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ मिले जिनकी हमराहीगणों की मदद से जामा तलाशी लिया गया तो विनोद राजभर उपरोक्त के पास से 19,000/- (उन्नीस हजार रुपया) व पीले रंग के 17 गमछे बरामद हुए। उपरोक्त विनोद राजभर, तेजप्रताप, राजमन राजभर को आचार संहिता का उलंघन बताते हुए समय 18.20 बजे को हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विनोद राजभर s/o मुन्नी राजभर निवासी अमनावे थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. तेज प्रताप राजभर s/o पतिराम राजभर निवासी अमनावे थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. राजमन राजभर s/o बलिहारी राजभर निवासी अमनावे थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	116/2023	188,171H भादवि व लोक प्रतिनिधित्व अधि0 की धारा 125	दीदारगंज	आजमगढ़

बरामदगी- 19,000/- रुपयें व पिले रंग का गमछा 17 अदद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. अपराध निरीक्षक अनुराग कुमार मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़